



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 413]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 20, 2019/कार्तिक 29, 1941

No. 413]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 20, 2019/KARTIKA 29, 1941

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 नवम्बर 2019

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (निगमित ऋणियों के व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाताओं के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2019

सं.आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./आर.ई.जी.050.—भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 2 के खंड (ड) और धारा 60 के साथ पठित धारा 196 की उपधारा (1) के खंड (न) तथा धारा 240 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (यड), (यण), (यत) और (यथ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

अध्याय-1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (निगमित ऋणियों के व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाताओं के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2019 है।

(2) ये विनियम 1 दिसंबर 2019 से प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना – ये विनियम निगमित (कारपोरेट) ऋणियों के व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाताओं के लिए समाधान प्रक्रिया को लागू होंगे।

3. परिभाषाएं – इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) किसी लेनदार या किसी समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक द्वारा व्यावसायिक नियोजित के संबंध में “सहयोगी” का वही अर्थ होगा जो धारा 79 की उपधारा (2) में किसी ऋणी के संबंध में उसका है, जो लागू हो;

(ख) “संहिता” से दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) अभिप्रेत है;

- (ग) “निगमित ऋणी” से ऐसा निगमित (कॉर्पोरेट) आवेदक अभिप्रेत है जिसके लिए प्रत्याभूतिदाता ने व्यक्तिगत प्रत्याभूति दी है;
- (घ) “इलैक्ट्रॉनिक माध्यम” से ऐसा प्राधिकृत और सुरक्षित संदेश कार्यक्रम अभिप्रेत है, जो ऐसे सहभागी को, जो ऐसी संसूचना प्राप्त करने का हकदार है उस अंतिम इलैक्ट्रॉनिक मेल पते पर, जो कि ऐसे सहभागी द्वारा दिया गया है, संसूचना भेजे जाने की पुष्टि करने और ऐसी संसूचना का अभिलेख रखने में सक्षम है;
- (ङ) “प्ररूप” से इन विनियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत हैं;
- (च) “सहभागी” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो लेनदारों की बैठक में भाग लेने का हकदार है और इसके अंतर्गत लेनदार, प्रत्याभूतिदाता, समाधान व्यावसायिक और लेनदारों द्वारा एक प्रस्ताव के माध्यम से ऐसी बैठक में भाग लेने लिए प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति भी है;
- (छ) “समाधान प्रक्रिया” से किसी प्रत्याभूतिदाता की दिवाला समाधान प्रक्रिया अभिप्रेत है;
- (ज) “समाधान प्रक्रिया प्रारंभ होने की तारीख” से धारा 100 के अधीन आवेदन स्वीकृत करने की तारीख अभिप्रेत है;
- (झ) “समाधान प्रक्रिया लागत” के अंतर्गत लेनदारों द्वारा अनुमोदित या अनुसमर्थित सीमा तक –
- (i) समाधान व्यावसायिक को संदेय फीस;
 - (ii) समाधान व्यावसायिक पर और उसके द्वारा समाधान प्रक्रिया चलाने के लिए उपगत व्यय, जिसके अंतर्गत व्यावसायिक नियोजित करने की लागत, यदि कोई है, भी है;
 - (iii) समाधान प्रक्रिया के लिए जुटाई गई निधियां और ऐसी निधियां जुटाने में उपगत लागत; और
 - (iv) ऐसी अन्य लागत, जिसका समाधान प्रक्रिया से प्रत्यक्षतः संबंध है;
- से अभिप्रेत है;
- (ञ) “धारा” से संहिता की धारा अभिप्रेत है;
- (ट) उन शब्दों और अभिव्यक्तियों को, जो इन विनियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु संहिता एवं दिवाला और शोधन अक्षमता (निगमित ऋणी के लिए व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाताओं हेतु दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को आवेदन) नियम, 2019 में परिभाषित हैं वहीं अर्थ होंगे जो उनके क्रमशः संहिता एवं कथित नियम में हैं।

अध्याय 2

साधारण

4. समाधान व्यावसायिक की पात्रता

- (1) कोई दिवाला व्यावसायिक किसी समाधान प्रक्रिया के लिए समाधान व्यावसायिक के रूप में नियुक्त किए जाने का तभी पात्र होगा, यदि -
- (क) दिवाला व्यावसायिक इकाई, जिसका वह भागीदार या निदेशक है या उक्त दिवाला व्यावसायिक इकाई का कोई भागीदार और निदेशक, प्रत्याभूतिदाता से स्वतंत्र है;
 - (ख) बोर्ड या उस दिवाला व्यावसायिक संस्था की, जिसका वह व्यावसायिक सदस्य है, किसी अनुशासनिक कार्यवाही या अवरोध आदेश के अधीन नहीं है; और
 - (ग) परन्तु ऐसा दिवाला व्यावसायिक, जो किसी दिवाला व्यावसायिक इकाई का निदेशक या भागीदार है, किसी समाधान प्रक्रिया में समाधान व्यावसायिक के रूप में नियुक्त किए जाने का पात्र नहीं होगा यदि वह दिवाला व्यावसायिक इकाई या ऐसी दिवाला व्यावसायिक इकाई का कोई अन्य भागीदार या निदेशक समाधान प्रक्रिया में किसी अन्य पक्षकार का प्रतिनिधित्व करता है।
- स्पष्टीकरण* – इस उप-विनियम के प्रयोजनों के लिए,-
- (i) किसी व्यक्ति को प्रत्याभूतिदाता से तब स्वतंत्र समझा जाएगा, यदि-

- (क) वह प्रत्याभूतिदाता का सहयोगी नहीं है;
- (ख) वह ऐसे कारपोरेट ऋणी का, जिसकी ओर से प्रत्याभूतिदाता ने व्यक्तिगत प्रत्याभूति दी है, संबद्ध पक्षकार नहीं है;
- (ग) उसने ऐसे कारपोरेट ऋणी की बाबत, जिसकी ओर से ऋणी व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाता है, अंतरिम समाधान व्यावसायिक, समाधान व्यावसायिक या परिसमापक के रूप में कार्य नहीं किया है या कार्य नहीं कर रहा है;
- (ii) "संबद्ध पक्षकार" अभिव्यक्ति का वही अर्थ होगा, जो धारा 5 की उपधारा (24) में उसका है।
- (2) ऐसे दिवाला व्यावसायिक से भिन्न कोई दिवाला व्यावसायिक, जिसने, यथास्थिति, किसी प्रत्याभूतिदाता या लेनदार की ओर से धारा 94 या धारा 95 के अधीन आवेदन फाइल किया है, किसी समाधान प्रक्रिया में समाधान व्यावसायिक के रूप में अपनी नियुक्ति से पूर्व न्यायनिर्णायन प्राधिकारी को प्ररूप क में लिखित सहमति देगा।

5. अभिलेख का परिरक्षण

समाधान व्यावसायिक, प्रत्याभूतिदाता की समाधान प्रक्रिया से संबंधी अभिलेखों की एक भौतिक तथा एक इलैक्ट्रॉनिक प्रति उस अभिलेख प्रतिधारण अनुसूची के अनुसार परिरक्षित रखेगा, जो बोर्ड द्वारा दिवाला व्यावसायिक संस्थाओं के परामर्श से संसूचित की जाए।

6. ऋण परामर्श

प्रत्याभूतिदाता को समाधान प्रक्रिया के संदर्भ में, ऐसी व्यक्तियों द्वारा जिन्हें यथास्थिति, बोर्ड या केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता दी जाए, ऋण परामर्श दिया जा सकता है।

अध्याय 3

दावों का रजिस्ट्रीकरण

7. दावा प्रस्तुत करना और उसका सत्यापन

- (1) लेनदार, समाधान व्यावसायिक को धारा 102 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई लोक सूचना में उल्लिखित अंतिम तारीख को या उससे पूर्व प्ररूप ख में सबूत सहित अपना दावा प्रस्तुत करेगा।
- (2) लेनदार, इन विनियमों के अधीन सबूत सहित दावा प्रस्तुत करने से संबंधित खर्चों को वहन करेगा।
- (3) लेनदार अपना दावा-
- (क) किसी इनफॉर्मेशन यूटिलिटी में उपलब्ध अभिलेख, या
- (ख) किसी अन्य दस्तावेज़ी साक्ष्य, जो दावे की विद्यमानता को सिद्ध करता है,
- के आधार पर साबित कर सकेगा।
- (4) समाधान व्यावसायिक लेनदार से उसके संपूर्ण दावे या उसके भाग को सिद्ध करने के लिए ऐसे अन्य साक्ष्य या स्पष्टीकरण की मांग कर सकेगा, जो वह उचित समझे।
- (5) समाधान व्यावसायिक प्रत्येक दावे को, जैसे ही वह प्राप्त होता है, सत्यापित करेगा और लोक सूचना की तारीख से तीस दिन के भीतर धारा 104 की उपधारा (1) के अधीन लेनदारों की सूची तैयार करेगा।
- (6) जहां किसी लेनदार द्वारा दावाकृत रकम किसी कारण से सुनिश्चित नहीं है वहां समाधान व्यावसायिक अपने पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर दावे की रकम का सर्वोत्तम आकलन तैयार करेगा।
- (7) समाधान व्यावसायिक स्वीकार की गई दावों की रकमों को, जिसके अंतर्गत उप-विनियम (6) के अधीन किए गए दावों के आकलन भी हैं, लेनदारों द्वारा प्रतिदाय योजना का अनुमोदन किए जाने तक, यथासाध्य शीघ्रता से उपांतरित करेगा, यदि उसे ऐसी कोई अतिरिक्त जानकारी मिलती है जिसमें ऐसा संशोधन करना आवश्यक हो।
- (8) विदेशी मुद्रा में अंकित दावों को समाधान प्रक्रिया प्रारंभ होने की तारीख को शासकीय विनिमय दर पर भारतीय मुद्रा में मूल्यांकित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण – इस विनियम के प्रयोजनों के लिए, "शासकीय विनिमय दर" से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित निर्देश दर या ऐसी निर्देश दर से व्युत्पन्न निर्देश दर अभिप्रेत है।

8. लेनदारों को देय ऋण का अंतरण

(1) जहां कोई लेनदार, समाधान प्रक्रिया की अवधि के दौरान ऋण को किसी अन्य व्यक्ति को समनुदेशित या अंतरित करता है वहां दोनों पक्षकार समाधान व्यावसायिक को ऐसे समनुदेशन या अंतरण के निबंधन और समनुदेशिती या अंतरिती की पहचान और ब्यौरे देंगे।

(2) समाधान व्यावसायिक, लेनदारों की सूची में किसी पारिणामिक परिवर्तन को प्रत्येक लेनदार को और न्यायनिर्णायन प्राधिकारी को ऐसे परिवर्तन के दो दिनों के भीतर अधिसूचित करेगा।

9. लेनदारों की सूची

(1) धारा 104 की उपधारा (1) के अधीन लेनदारों की सूची में लेनदारों के नाम, उनके द्वारा दावा की गई रकम, ऐसे दावों की बाबत स्वीकार की गई रकम और प्रतिभूति हित, यदि कोई है, अंतर्विष्ट होंगे।

(2) समाधान व्यावसायिक -

- (क) ऐसे लेनदारों की सूची, उन व्यक्तियों को, जिन्होंने सबूत सहित दावे प्रस्तुत किए हैं, निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराएगा;
- (ख) प्रत्याभूतिदाता को लेनदारों की सूची की एक प्रति की तामील करेगा;
- (ग) प्रत्याभूतिदाता के लेनदारों की सूची वेबसाइट पर, यदि कोई है, उपलब्ध कराएगा;
- (घ) लेनदारों की बैठक में लेनदारों की सूची प्रस्तुत करेगा; और
- (ङ) न्यायनिर्णायन प्राधिकारी के समक्ष लेनदारों की सूची की प्रमाणित प्रति प्रतिदाय योजना सहित फाइल करेगा।

10. कामकाज का विवरण

(1) समाधान व्यावसायिक, धारा 107 की उपधारा (3) के खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए प्रत्याभूतिदाता के कामकाज का विवरण तैयार करेगा।

(2) कामकाज के विवरण में प्रत्याभूतिदाता के संबंध में निम्नलिखित जानकारी होगी -

- (क) पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के लिए आस्तियां और दायित्व;
- (ख) अपवर्जित आस्तियों और अपवर्जित ऋणों के ब्यौरे;
- (ग) पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के लिए आय विवरणी;
- (घ) प्रत्याभूतिदाता द्वारा पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के लिए फाइल की गई आयकर विवरणियां, यदि कोई हैं;
- (ङ) पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के लिए प्रतिभूत और अप्रतिभूत ऋणों में विभाजित लेनदारवार देय रकम;
- (च) पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के लिए प्रत्याभूतिदाता द्वारा अपने सहयोगियों को उधार दिए गए ऋण के ब्यौरे;
- (छ) उसके किसी ऋण के संबंध में दी गई प्रत्याभूतियां और क्या कोई प्रत्याभूतिदाता प्रत्याभूतिदाता का सहयोगी है; और
- (ज) यथास्थिति, प्रत्याभूतिदाताके स्वामित्वाधीन कारबार के या ऐसी फर्म के, जिसमें वह एक भागीदार है वित्तीय विवरणों के ब्यौरे, यदि लागू हों।

अध्याय 4**लेनदारों की बैठकें और मतदान****11. लेनदारों की बैठक**

- (1) ऐसा लेनदार, जिसे लेनदारों की सूची में शामिल किया गया है, लेनदारों की बैठकों में भाग लेने का हकदार है।
- (2) प्रत्येक लेनदार का मतदान अंश ऐसे लेनदार को उधार दिए गए ऋण के अनुपात में होगा।
- (3) समाधान व्यावसायिक धारा 107 के अनुसार लेनदारों की पहली बैठक बुलाएगा और लेनदारों द्वारा यथा-विनिश्चित, अन्य सहभागीयों को ऐसी सूचना देकर, जो कि अड़तालीस घंटे से कम की नहीं होगी, बैठक बुलाएगा।
- (4) समाधान व्यावसायिक, तैंतीस प्रतिशत मतदान अंश रखने वाले लेनदारों के अनुरोध पर लेनदारों की बैठक बुलाएगा।

(5) इस विनियम के अधीन सूचना, विनियम 12 के अनुसार प्रत्येक सहभागी को उस पते पर तामील की जाएगी जो समाधान व्यावसायिक को उपलब्ध कराया गया है।

(6) जब तक संहिता में अन्यथा उपबंधित न हो, लेनदारों के किसी विनिश्चय पर उपस्थित और मतदान करने वाले लेनदारों के पचास प्रतिशत मतदान अंश से अधिक का अनुमोदन अपेक्षित होगा।

12. बैठक की सूचना की अंतर्वस्तु

(1) लेनदारों की बैठक बुलाने वाली सूचना में, सहभागियों को बैठक के स्थान, समय, तारीख की और

(i) सहभागियों को, या तो व्यक्तिगत रूप से, वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से या प्रॉक्सी के माध्यम से बैठक में भाग लेने; और

(ii) ऋणियों को, यथास्थिति, व्यक्तिगत रूप से, प्रॉक्सी के माध्यम से; या इलैक्ट्रॉनिक माध्यमों, या इलैक्ट्रॉनिक प्रॉक्सी, से मत डालने के संबंध में

उपलब्ध विकल्पों की सूचना दी जाएगी।

(2) बैठक की सूचना में कार्यसूची होगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल होगा –

(क) उन विषयों की सूची, जिन पर बैठक में विचार-विमर्श किया जाना है;

(ख) उन मुद्दों की सूची जिसके संबंध में बैठक में मतदान होना है;

(ग) उन विषयों के संबंध में, जिन पर विचार-विमर्श किया जाना है और उन मुद्दों के संबंध में, जिन पर मतदान किया जाना है, सुसंगत दस्तावेज़।

(3) यदि सहभागियों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में भाग लेने का विकल्प उपलब्ध कराया जाता है तो बैठक की सूचना में –

(क) बैठक में भाग लेने की प्रक्रिया और रीति का वर्णन होगा;

(ख) बैठक में सुरक्षित रीति से पहुंच के लिए पासवर्ड बनाने के लिए सुविधा के लागि आई.डी. और ब्यौरे होंगे; और

(ग) उस व्यक्ति के संपर्क ब्यौरे होंगे, जो कि वीडियो कांफ्रेंसिंग से संबद्ध शंकाओं का निवारण करेगा।

(4) यदि लेनदारों को इलैक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा मत डालने का विकल्प उपलब्ध कराया जाता है तो बैठक की सूचना में –

(क) इलैक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा मत डालने की प्रक्रिया और रीति का वर्णन होगा;

(ख) सुरक्षित रीति में मत डालने के लिए इलैक्ट्रॉनिक माध्यमों तक पहुंच के लिए पासवर्ड बनाने के लिए सुविधा के लागि आई.डी. और ब्यौरे होंगे; और

(ग) उस व्यक्ति के संपर्क ब्यौरे होंगे, जो कि इलैक्ट्रॉनिक माध्यमों से संबद्ध शंकाओं का निवारण करेगा।

13. कोरम

(1) लेनदारों की ऐसी बैठक में कोरम पूरा होगा यदि कम से कम तैंतीस प्रतिशत मतदान अंश का प्रतिनिधित्व करने वाले लेनदार व्यक्तिगत रूप से, प्रॉक्सी द्वारा या इलैक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा उपस्थित होते हैं:

परन्तु लेनदार समिति की किसी भावी बैठक की बाबत कोरम के लिए अपेक्षित मतदान अंश की प्रतिशतता में उपांतरण कर सकेंगे।

(2) जहां लेनदारों की कोई बैठक कोरम की कमी के कारण आयोजित नहीं का जा सकी हो वहां जब तक कि लेनदारों ने इससे पूर्व अन्यथा विनिश्चित न किया हो, बैठक अगले दिन उसी समय और स्थान के लिए स्थगित हो जाएगी और उस दिन कोरम आवश्यक नहीं होगा।

14. बैठक का संचालन

(1) समाधान व्यावसायिक लेनदारों की बैठक की अध्यक्षता करेगा;

(2) बैठक के प्रारंभ में समाधान व्यावसायिक उपस्थिति लेगा तब प्रत्येक सहभागी, जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रानिक माध्यमों से या प्रॉक्सी द्वारा या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भाग लेने वाले सहभागी भी हैं, अभिलेख के लिए निम्नलिखित कथन करेंगे –

(क) अपना नाम;

(ख) वह हैसियत, जिसमें वह भाग ले रहा है;

(ग) वह लेनदार, जिसका वह प्रतिनिधित्व कर रहा है; और

(घ) उसने कार्यसूची और बैठक के लिए सुसंगत समस्त सामग्री प्राप्त कर ली है।

(3) समाधान व्यावसायिक, उपस्थिति लेने के पश्चात् सहभागियों को उन सभी व्यक्तियों के नाम सूचित करेगा जो बैठक के लिए उपस्थित हैं और इस बात की पुष्टि करेगा कि अपेक्षित कोरम पूरा है।

(4) समाधान व्यावसायिक यह सुनिश्चित करेगा कि अपेक्षित कोरम संपूर्ण बैठक में पूरा रहा।

(5) बैठक प्रारंभ होने से उसकी समाप्ति तक, सहभागियों से भिन्न कोई व्यक्ति और ऐसा कोई अन्य व्यक्ति जिसकी उपस्थिति की अपेक्षा समाधान व्यावसायिक द्वारा की गई हो, समाधान व्यावसायिक की अनुज्ञा के बिना पहुंच की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

15. लेनदारों द्वारा मतदान

(1) समाधान व्यावसायिक मतदान के लिए सूचीबद्ध किसी मत के संबंध में, उस पर विचार-विमर्श करने के पश्चात् बैठक में उपस्थित लेनदारों का मत लेगा।

(2) समाधान व्यावसायिक, बैठक की समाप्ति पर बैठक का कार्यवृत्त तैयार करेगा, जिसमें लेनदारों के नाम, बैठक में मतदान कराई गई मर्दों पर किसने पक्ष में मतदान किया या किसने विपक्ष में मतदान किया या कौन-कौन मतदान से अनुपस्थित रहा, होंगे।

(3) समाधान व्यावसायिक –

(क) बैठक के समाप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर बैठक के सभी सहभागियों को इलैक्ट्रानिक माध्यम से बैठक का कार्यवृत्त परिचालित करेगा, और

(ख) ऐसे लेनदारों से, जो बैठक में उपस्थित नहीं थे या जिन्होंने बैठक में मतदान नहीं किया था, मतदान के लिए सूचीबद्ध की गई मर्दों पर इलैक्ट्रानिक माध्यम द्वारा मतदान करने की ईप्सा करेगा जहां कि मतदान खंड (क) के अनुसार कार्यवृत्त के परिचालन से कम से कम चौबीस घंटे के लिए खुला रखा जाएगा।

(4) समाधान व्यावसायिक, मतदान अवधि के अंत में, बैठक में और इलैक्ट्रानिक माध्यमों द्वारा किए गए मतदान पर विचार करने के पश्चात्, मर्दों के संबंध में लिए गए विनिश्चय को उन लेनदारों के नामों सहित अभिलिखित करेगा, जिन्होंने पक्ष में मतदान किया है, विपक्ष में मतदान किया है या जो मतदान से अनुपस्थित रहे हैं।

(5) समाधान व्यावसायिक उप-विनियम (4) के अधीन तैयार किए गए अभिलेख की एक प्रति सभी सहभागियों को मतदान के समाप्त होने के चौबीस घंटे के भीतर परिचालित करेगा।

16. प्रॉक्सी द्वारा मतदान

(1) ऐसा लेनदार, जो लेनदारों की बैठक में मत करने का हकदार है, अपनी ओर से भाग लेने और मतदान करने के लिए किसी व्यक्ति को प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करने का हकदार होगा।

(2) लेनदार, उप-विनियम (1) के प्रयोजनार्थ लेनदारों की बैठक से कम से कम चौबीस घंटे पूर्व समाधान व्यावसायिक को सम्यक् रूप से संपूरित प्ररूप ग परिदत्त करेगा।

(3) प्रॉक्सी, लेनदार की ओर से इलैक्ट्रानिक माध्यमों द्वारा मतदान कर सकेगा।

अध्याय 5

प्रतिदाय योजना

17. प्रतिदाय योजना की अंतर्वस्तु

(1) प्रतिदाय योजना में निम्नलिखित के संबंध में उपबंध होगा –

(क) प्रतिदाय योजना के निबंधन और उसकी कार्यान्वयन अनुसूची, जिसके अंतर्गत लेनदारों को प्रतिदाय की जाने वाली रकमें और प्रतिदाय करने की तारीखें भी हैं;

(ख) निधियों का स्रोत, जिसका उपयोग दिवाला समाधान प्रक्रिया की लागत का संदाय करने में किया जाएगा और यह कि ऐसा संदाय किसी लेनदार को संदाय करने से पहले किया जाएगा;

(ग) प्रत्याभूतिदाता और उसके सगे कुटुम्ब के सदस्यों के युक्तियुक्त व्ययों को, उस सीमा तक जहां तक वे उस पर आश्रित हैं, पूरा करने के लिए प्रतिदाय योजना की कालावधि के लिए न्यूनतम बजट, बशर्ते प्रत्याभूतिदाता की कम से दस प्रतिशत वसूलीय आय का उपयोग ऋणों के प्रतिदाय के लिए किया जाएगा;

(घ) प्रतिदाय योजना के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित वित्त-प्रबंध;

(ङ) यदि प्रत्याभूतिदाता का कोई कारबार है तो वह रीति जिसमें उसे प्रतिदाय योजना के दौरान चलाया जाना प्रस्तावित है और उसमें समाधान व्यावसायिक की भूमिका;

(च) वह रीति, जिसमें प्रतिदाय योजना के प्रयोजनों के लिए धारित निधियों का लेनदारों को प्रतिदाय किए जाने तक निवेश किया जाएगा या उनका अन्यथा प्रयोग किया जाएगा;

(छ) वे कृत्य, जो कि समाधान व्यावसायिक द्वारा किए जाने हैं, जिनके अंतर्गत प्रतिदाय योजना का पर्यवेक्षण और कार्यान्वयन भी है;

(ज) प्रत्याभूतिदाता को अंतर्वलित करने वाली किसी संविदा या संव्यवहार के दुर्भर निबंधनों में फेरफार;

(झ) प्रत्याभूतिदाता की अपवर्जित आस्तियों और अपवर्जित ऋणों के व्यौरे; और

(ञ) प्रत्याभूतिदाता के उन्मोचन के लिए निबंधन और शर्तें।

(2) प्रतिदाय योजना में निम्नलिखित के संबंध में उपबंध हो सकेगा –

(क) प्रत्याभूतिदाता की सभी या आंशिक आस्तियों का अंतरण या विक्रय तथा ऐसे विक्रय की पद्धति और रीति;

(ख) प्रत्याभूतिदाता की किन्हीं निधियों का प्रशासन या व्ययन;

(ग) किसी प्रतिभूति हित का तुष्टीकरण या उपांतरण;

(घ) लेनदारों को संदेय रकम को घटाया जाना;

(ङ) प्रत्याभूतिदाता से देय किसी ऋण के भंग का संसाधन या अधित्यजन;

(च) प्रत्याभूतिदाता से देय किसी ऋण के प्रतिदाय के निबंधनों में उपांतरण;

(छ) प्रत्याभूतिदाता की आय का वह भाग, जिसका प्रयोग ऋण के प्रतिदाय के लिए किया जाना है और प्रत्याभूतिदाता की आय की संगणना करने की रीति;

(ज) वह रीति, जिसमें लेनदारों को प्रतिदाय करने के प्रयोजनार्थ धारित और प्रतिदाय योजना के अंत तक प्रतिदाय न की गई निधियों का प्रयोग किया जाना है; और

(झ) ऐसे अन्य विषय, जो लेनदार अपेक्षित करें।

18. कतिपय व्यक्तियों द्वारा आस्तियों का क्रय

(1) निम्नलिखित व्यक्ति न्यायनिर्णायन प्राधिकारी के अनुज्ञा के बिना प्रत्याभूतिदाता की संपत्ति में किसी हित का प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः क्रय या अर्जन नहीं करेंगे –

(क) समाधान व्यावसायिक या उस दिवाला व्यावसायिक इकाई का कोई भागीदार या निदेशक जिसका समाधान व्यावसायिक एक भागीदार या निदेशक है;

(ख) समाधान व्यावसायिक द्वारा समाधान प्रक्रिया के लिए नियुक्त कोई व्यावसायिक;

(ग) कोई लेनदार;

(घ) ऐसी कोई कंपनी, जसमें प्रत्याभूतिदाता या कोई लेनदार संप्रवर्तक है;

(ङ) प्रत्याभूतिदाता, लेनदार या समाधान व्यावसायिक का कोई सहयोगी।

(2) न्यायनिर्णायन प्राधिकारी, ऐसे किसी क्रय या अर्जन को अपास्त कर सकेगा जो इस विनियम के उपबंधों के विपरीत किया गया हो और ऐसा आदेश कर सकेगा जो वह उचित समझे।

19. न्यायनिर्णायन प्राधिकारी के समक्ष फाइल किया जाना

(1) समाधान व्यावसायिक, यथास्थिति, धारा 106 या धारा 112 में उल्लिखित रिपोर्ट सहित लेनदारों द्वारा यथा-अनुमोदित प्रतिदाय योजना न्यायनिर्णायन प्राधिकारी के समक्ष समाधान प्रक्रिया प्रारंभ होने की तारीख से एक सौ बीस दिन पूरा होने पर या उससे पूर्व फाइल करेगा।

(2) समाधान व्यावसायिक, उप-विनियम (1) के अधीन न्यायनिर्णायन प्राधिकारी के समक्ष फाइल किए गए दस्तावेजों की प्रतियां इस प्रकार फाइल करने की तारीख से तीन दिन के भीतर प्रत्याभूतिदाता और लेनदारों को उपलब्ध कराएगा।

20. प्रत्याभूतिदाता द्वारा प्रतिदाय योजना का भंग

(1) यदि समाधान व्यावसायिक की राय में प्रत्याभूतिदाता प्रतिदाय योजना का कार्यान्वयन करने में असफल रहा है तो समाधान व्यावसायिक, ऐसी असफलता की जानकारी से तीन दिन के भीतर असफलता को स्पष्ट करते हुए सूचना जारी करेगा और सूचना प्राप्त होने से पन्द्रह दिन के भीतर उससे -

(क) ऐसी असफलता को दूर करने, यदि वह दूर की जा सकती है, या

(ख) असफलता के लिए स्पष्टीकरण देने

की अपेक्षा करेगा।

(2) यदि प्रत्याभूतिदाता, उप-विनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर,-

(क) प्रतिदाय योजना के कार्यान्वयन में हुई असफलता को दूर कर देता है; या

(ख) ऐसी असफलता के संबंध में संतोषप्रद स्पष्टीकरण दे देता है,

तो समाधान व्यावसायिक असफलता के दूर किए जाने या ऐसी असफलता के संबंध में स्पष्टीकरण दिए जाने की तारीख से सात दिन के भीतर लेनदारों को असफलता की रिपोर्ट करेगा।

(3) यदि वह उप-विनियम (2) के अंतर्गत नहीं आती है तो समाधान व्यावसायिक, यदि उसकी यह राय है कि इस असफलता से प्रतिदाय योजना के कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, धारा 116 की उपधारा (2) के अधीन न्यायनिर्णायन प्राधिकारी को निदेशों के लिए आवेदन कर सकेगा।

21. उन्मोचन आदेश के लिए आवेदन

(1) समाधान व्यावसायिक, उन्मोचन आदेश के प्रयोजनार्थ, धारा 117 के अधीन सूचना और रिपोर्ट की प्रतियों सहित धारा 119 के अधीन न्यायनिर्णायन प्राधिकारी के समक्ष आवेदन फाइल करेगा।

(2) न्यायनिर्णायन प्राधिकारी, धारा 117 की उपधारा (1) के अधीन सूचना और रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् उन्मोचन आदेश पारित कर सकेगा।

22. प्रत्याभूतिदाता द्वारा असहयोग किया जाना

प्रत्याभूतिदाता द्वारा समाधान प्रक्रिया की अवधि के दौरान या प्रतिदाय योजना के कार्यान्वयन के दौरान किसी समय असहयोग किए जाने की दशा में, समाधान व्यावसायिक इस आशय का एक कथन तैयार करेगा और उसे न्यायनिर्णायन प्राधिकारी के समक्ष समुचित निदेशों के लिए फाइल करेगा।

प्ररूप क

समाधान व्यावसायिक के रूप में कार्य करने की लिखित सहमति

[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट ऋणियों के व्यक्तिगत प्रत्याभूति-दाताओं के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2019 के विनियम 4(2) के अधीन]

[तारीख]

सेवा में

न्यायनिर्णायन प्राधिकारी

(पीठ का नाम)

प्रेषक

[दिवाला व्यावसायिक का नाम]

[दिवाला व्यावसायिक का रजिस्ट्रीकरण संख्यांक]

[बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत दिवाला व्यावसायिक का पता]

विषय: (प्रत्याभूतिदाता का नाम) के मामले में समाधान व्यावसायिक के रूप में कार्य करने की लिखित सहमति ।

1. मैं (नाम) (दिवाला व्यावसायिक संस्था का नाम) में नामांकित और बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत दिवाला व्यावसायिक यह उल्लेख करता हूँ कि मुझे (प्रत्याभूतिदाता का नाम) की समाधान प्रक्रिया के लिए समाधान व्यावसायिक के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव है ।

2. मैं, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (निगमित ऋणियों के व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाताओं के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2019 के विनियम 4(2) के अनुसरण में (प्रत्याभूतिदाता का नाम) की समाधान प्रक्रिया के लिए प्रस्तावित नियुक्ति के संबंध में अपनी सहमति देता हूँ ।

3. मैं निम्नलिखित रूप में घोषणा और प्रतिज्ञान करता हूँ:-

(क) मैं बोर्ड के पास दिवाला व्यावसायिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत हूँ ।

(ख) मैं बोर्ड या दिवाला व्यावसायिक संस्था द्वारा आरंभ की गई किसी अनुशासनिक कार्यवाही के अध्यक्ष नहीं हूँ ।

(ग) मैं समाधान व्यावसायिक के रूप में कार्य करने के लिए किसी निःशक्तता से ग्रस्त नहीं हूँ ।

(घ) मैं भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (निगमित ऋणियों के व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाताओं के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2019 के विनियम 3 और संहिता और विनियमों के अन्य लागू उपबंधों के अधीन प्रत्याभूतिदाता के समाधान व्यावसायिक के रूप में नियुक्त किए जाने का पात्र हूँ ।

(ङ) मैं भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियम, 2016 में उपवर्णित दिवाला व्यावसायिक के लिए आचार-संहिता के अनुसार प्रकटन करूंगा ।

(च) मेरे पास निम्नलिखित प्रक्रियाएं प्रचालन में हैं:

क्रम सं.	भूमिका का स्वरूप	सहमति की तारीख को प्रक्रियाओं की संख्या
1	अंतरिम समाधान व्यावसायिक	
2	क. कारपोरेट ऋणियों ख. व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाताओं, व्यष्टियों या भागीदारी फर्मों क. समाधान व्यावसायिक	
3	क. समापन प्रक्रिया	

	ख. स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया का परिसमापक	
4	शोधन अक्षमता न्यासी	
5	प्राधिकृत प्रतिनिधि	
6	कोई अन्य (कृपया वर्णन करें)	

तारीख:

स्थान: (दिवाला व्यावसायिक के हस्ताक्षर)

रजिस्ट्रीकरण सं.....

प्ररूप ख

लेनदार द्वारा सबूत सहित दावा

[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (निगमित ऋणियों के व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाताओं के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2019 के विनियम 7(1) के अधीन]

[तारीख]

सेवा में

[समाधान व्यावसायिक का नाम]

[लोक घोषणा में यथा-उपवर्णित पता]

प्रेषक

[लेनदार का नाम और पता]

विषय: (प्रत्याभूतिदाता का नाम) के मामले में सबूत सहित दावा प्रस्तुत करना।

महोदय/महोदया,

(लेनदार का नाम), (प्रत्याभूतिदाता का नाम) की समाधान प्रक्रिया की बाबत सबूत सहित दावा प्रस्तुत करता है। उसके ब्यौरे नीचे उपवर्णित किए गए हैं:-

1.	लेनदार का अभिनाम और पूरा नाम				
2.	लेनदार का पहचान संख्यांक	आधार सं.	पैन	सी.आई.एन.	जी.एस.टी.आई.एन.
3.	पता	वर्तमान	स्थायी	कारबार	
4.	ईमेल				
5.	दावे की कुल रकम (समाधान प्रक्रिया प्रारंभ होने की तारीख को किसी ब्याज सहित)				
6.	उन दस्तावेजों के ब्यौरे, जिनके प्रति निर्देश से ऋण सिद्ध किया गया है				
7.	दावे की बाबत किसी विवाद के ब्यौरे तथा ऐसे विवाद का अभिलेख				
8.	ऋण किस प्रकार उपगत हुआ था, उसके ब्यौरे और वह तारीख जब ऐसा ऋण उपगत हुआ था				
9.	प्रत्याभूतिदाता और लेनदार के बीच किसी पारस्परिक लेनदारी,				

	पारस्परिक ऋणों या अन्य पारस्परिक व्यवहारों के ब्यौरे जिन्हें दावे के विरुद्ध समायोजित किया जा सकता है।	
10.	उस माल या संपत्तियों की बाबत, जिसके प्रति दावा निर्दिष्ट है, हक व्यवस्था के किसी प्रतिधारण के ब्यौरे	
11	उस बैंक खाते के ब्यौरे, जिसमें प्रतिदाय योजना के अनुसरण में दावे की रकम या उसका कोई भाग अंतरित किया जा सकता है (खाता संख्यांक, आई.एफ.एस. कोड, शाखा और बैंक)	
12.	धारित किसी प्रतिभूति के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत मूल्य और वह तारीख जब वह दिया गया था, भी हैं)	
13.	यदि आप प्रतिभूत लेनदार हैं, तो प्रतिदाय योजना की अवधि के दौरान प्रतिभूति को प्रवृत्त करने के अधिकार के समपहरण से संबंधित दाएं स्तंभ में लागू बाक्स को टिक करें, जिससे संहिता की धारा 110 के अनुसार मतदान अंश का अवधारण होगा	<input type="checkbox"/> मैं प्रतिदाय योजना की अवधि के दौरान अपनी (वर्णन अंतःस्थापित करें) प्रतिभूति को प्रवृत्त करने के अपने अधिकार को समपहृत करने के लिए सहमत हूँ। <input type="checkbox"/> मैं प्रतिदाय योजना की अवधि के दौरान मेरी (वर्णन अंतःस्थापित करें) प्रतिभूति को प्रवृत्त करने के अपने अधिकार को समपहृत करने के लिए सहमत नहीं हूँ।
14.	(i) कारपोरेट ऋणी की कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया/समापन प्रक्रिया में मेरे द्वारा दावाकृत रकम (ii) उक्त प्रक्रिया के समाधान व्यावसायिक /परिसमापक द्वारा स्वीकार की गई रकम (iii) उक्त प्रक्रिया में मुझे वसूल हुई रकम	
15.	प्रत्याभूतिदाता के संबंध में निम्नलिखित जानकारी (जहां तक ज्ञात हो)	
	प्रत्याभूतिदाता की आस्तियां	
	प्रत्याभूतिदाता का कारबार	
	वे फर्म, जिसमें प्रत्याभूतिदाता भागीदार है	
	प्रत्याभूतिदाता के बैंक खाते के ब्यौरे	
	प्रत्याभूतिदाता के पति/पत्नी, बच्चों, माता-पिता और सहोदरों के नाम, आयु और पते	
लेनदार या उसकी ओर से कार्य करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर		
(यदि यह प्ररूप किसी लेनदार की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है तो कृपया प्राधिकार से संबंधित दस्तावेज़ संलग्न करें)		
नाम स्पष्ट अक्षरों में		
हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का पता		

घोषणा

मैं (लेनदार का नाम), जो इस समय (पता अंतःस्थापित करें) पर निवास कर रहा हूँ, एतद्वारा निम्नलिखित रूप में घोषणा और कथन करता हूँ -

1. (प्रत्याभूतिदाता का नाम) प्रत्याभूतिदाता समाधान प्रक्रिया प्रारंभ होने की तारीख को, जो कि(तारीख) है, (दावे की रकम अंतःस्थापित करें) रूपए की राशि का प्रत्याभूतिदाता था।

2. मैंने उक्त राशि या उसके किसी भाग के मेरे दावे की बाबत निम्नलिखित दस्तावेजों का अवलंब लिया है:

(क)

(ख)

(ग)

(घ)

3. उपर्युक्त दस्तावेज मेरे सर्वोत्तम ज्ञान, जानकारी और विश्वास के अनुसार सही, विधिमान्य और असली हैं।

4. उक्त राशि या उसके किसी भाग की बाबत न तो मैंने और न ही मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार मेरे आदेश से किसी व्यक्ति ने मेरे उपयोग के लिए निम्नलिखित के सिवाय किसी रीति में तृष्ठीकरण या प्रतिभूति प्राप्त की थी -

(कृपया प्रत्याभूतिदाता और लेनदार के बीच किसी पारस्परिक लेनदारी, पारस्परिक ऋणों या अन्य पारस्परिक व्यवहारों के व्यौरों का कथन करें, जिन्हें दावे के विरुद्ध समायोजित किया जा सकता है।)

तारीख:

स्थान :

(लेनदार के हस्ताक्षर)

सत्यापन

मैं (लेनदार का नाम) इसमें इसके ऊपर लेनदार, एतद्वारा सत्यापित करता हूँ कि दावे से संबंधित इस सबूत की अंतर्वस्तुएं मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं और इनमें से किसी भी तात्विक तथ्य को छिपाया नहीं गया है।

.....(तारीख) को सत्यापित

(लेनदार के हस्ताक्षर)

प्ररूप ग

प्रॉक्सी प्ररूप

[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (निगमित ऋणियों के व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाताओं के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2019 के विनियम 16(2) के अधीन]

प्रत्याभूतिदाता का पूरा नाम -

[समाधान प्रक्रिया के लिए मामले का नाम/आवेदन संख्यांक अंतःस्थापित करें]

लेनदार का पूरा नाम				
पता	वर्तमान	स्थायी	कारबार	
पहचान संख्यांक	आधार सं.	पैन	सी.आई.एन.	जी.एस.टी.आई.एन.
ईमेल				

मैं (लेनदार का नाम अंतःस्थापित करें) प्रत्याभूतिदाता के ऋण में (मतदान अंश की प्रतिशतता अंतःस्थापित करें) धारण करने के कारण, निम्नलिखित को -

1	पूरा नाम				
	पता	वर्तमान	स्थायी	कारबार	
	पहचान संख्यांक	आधार सं.	पैन	सी.आई.एन.	जी.एस.टी.आई.एन.
	ईमेल				
	हस्ताक्षर				

या उसके न हो सकने पर;

2	पूरा नाम				
	पता	वर्तमान	स्थायी	कारबार	
	पहचान संख्यांक	आधार सं.	पैन	सी.आई.एन.	जी.एस.टी.आई.एन.
	ईमेल				
	हस्ताक्षर				

लेनदारों की (बैठक की तारीख और समय अंतःस्थापित करें) को... (बैठक का स्थान अंतःस्थापित करें) पर होने वाली बैठक में और उसके किसी स्थगन में मेरी ओर से उपस्थित होने और नीचे यथा-सूचीबद्ध बैठक की सूचना में उपदर्शित विषयों की बाबत (सूचना के ब्यौरे दें) मेरी ओर से मतदान करने के लिए अपने प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करता हूँ -

(कार्यसूची में सूचीबद्ध विषय अंतःस्थापित करें)

----- (तारीख, मास और वर्ष अंतःस्थापित करें) को इस पर हस्ताक्षर किए।

लेनदार के हस्ताक्षर

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर।

डा. एम. एस. साहू, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/असा./300/19]

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th November, 2019

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA (INSOLVENCY RESOLUTION PROCESS FOR PERSONAL GUARANTORS TO CORPORATE DEBTORS) REGULATIONS, 2019

No. IBBI/2019-20/GN/REG050.—In exercise of the powers conferred by clause (t) of sub-section (1) of section 196, sub-section (1) and clauses (zn), (zo), (zp) and (zq) of sub-section (2) of section 240 read with clause (e) of section 2 and section 60 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations, namely: -

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement.

(1) These regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Personal Guarantors to Corporate Debtors) Regulations, 2019.

(2) They shall come into force from the 1st day of December, 2019.

2. Application.

These regulations shall apply to insolvency resolution process for personal guarantors to corporate debtors.

3. Definitions.

In these regulations, unless the context otherwise requires, -

- (a) “associate” in relation to a creditor, a resolution professional or professionals engaged by resolution professional, as the case may be, shall have the same meaning as assigned to it in relation to a debtor in sub-section (2) of section 79;
- (b) “Code” means the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016);
- (c) “corporate debtor” means a corporate person for whom the guarantor has given a personal guarantee;
- (d) “electronic means” means an authorised and secured computer programme which is capable of producing confirmation of sending communication to the participant entitled to receive such communication at the last electronic mail address provided by such participant and keeping record of such communication.
- (e) “form” means a form appended to these regulations;
- (f) “participant” means a person entitled to attend a meeting of creditors and includes a creditor, the guarantor, the resolution professional, and any other person authorised through a resolution by creditors to attend such meeting;
- (g) “resolution process” means the insolvency resolution process of a guarantor;
- (h) “resolution process commencement date” means the date of admission of an application under section 100;
- (i) “resolution process costs” shall mean-
 - (i) fees payable to the resolution professional;
 - (ii) expenses incurred on and by the resolution professional for carrying out the resolution process, including the fee of professionals engaged, if any;
 - (iii) finances raised for the resolution process, and costs incurred in raising such finances; and
 - (iv) such other costs directly relatable to the resolution process,
 to the extent approved or ratified by the creditors;
- (j) “section” means section of the Code;
- (k) words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Code and the Insolvency and Bankruptcy (Application to Adjudicating Authority for Insolvency Resolution Process for Personal Guarantors to Corporate Debtors) Rules, 2019 shall have the respective meanings assigned to them in the Code and the said rules.

CHAPTER II

GENERAL

4. Eligibility of resolution professional.

- (1) An insolvency professional shall be eligible to be appointed as a resolution professional for a resolution process, if-
 - (a) he, the insolvency professional entity of which he is a partner or a director, and all the partners and directors of the said insolvency professional entity are independent of the guarantor;
 - (b) he is not subject to any ongoing disciplinary proceeding or a restraint order of the Board or of the insolvency professional agency of which he is a professional member; and
 - (c) the insolvency professional entity of which he is a partner or a director, or any other partner or director of such insolvency professional entity does not represent any party in the resolution process.

Explanation.- For the purposes of this sub-regulation, -

- (i) a person shall be considered independent of the guarantor, if he-
 - (a) is not an associate of the guarantor;
 - (b) is not a related party of the corporate debtor; and
 - (c) has not acted or is not acting as interim resolution professional, resolution professional or liquidator in respect of the corporate debtor;
- (ii) the expression “related party” shall have the meaning assigned to it in sub-section (24) of section 5.

(2) An insolvency professional, other than who has filed an application under section 94 or 95 on behalf of a guarantor or a creditor, as the case may be, shall provide a written consent in Form A to the Adjudicating Authority before his appointment as resolution professional in a resolution process.

5. Preservation of records.

The resolution professional shall preserve a physical as well as an electronic copy of the records relating to resolution process of the guarantor as per the record retention schedule, as may be communicated by the Board in consultation with insolvency professional agencies.

6. Debt counselling.

Debt counselling in relation to resolution process may be provided to a guarantor by such person as may be recognised by the Board or the Central Government, as the case may be.

CHAPTER III

REGISTRATION OF CLAIMS

7. Submission and verification of claim.

(1) A creditor shall submit its claim along with proof to the resolution professional in Form B, on or before the last date mentioned in the public notice issued under sub-section (1) of section 102.

(2) The creditor shall bear the costs relating to submission of the claim, including proof, under these regulations.

(3) A creditor may prove its claim on the basis of-

- (a) records available in an information utility, or
- (b) any other documentary evidence which substantiates the existence of claim.

(4) The resolution professional may call for such other evidence or clarification as he deems fit from a creditor for substantiating the whole or part of its claim.

(5) The resolution professional shall verify each claim as soon as it is received and prepare a list of creditors under sub-section (1) of section 104 within thirty days from the date of public notice.

(6) Where the amount claimed by a creditor is not precise due to any reason, the resolution professional shall make the best estimate of the amount of the claim based on the information available with him.

(7) The resolution professional shall modify the amounts of claims admitted, including the estimates of claims made under sub-regulation (6), as soon as may be practicable, after he comes across additional information warranting such revision, till the approval of a repayment plan by the creditors.

(8) The claims denominated in foreign currency shall be valued in Indian currency at the official exchange rate as on the resolution process commencement date.

Explanation.— For the purposes of this sub-regulation, “official exchange rate” means the reference rate published by the Reserve Bank of India or derived from such reference rate.

8. Transfer of debt due to creditors.

(1) Where a creditor assigns or transfers the debt to any person during the resolution process period, both parties shall provide the resolution professional the terms of such assignment or transfer, and the identity and details of the assignee or transferee.

(2) The resolution professional shall notify each creditor and the Adjudicating Authority of any resultant change in the list of creditors within two days of such change.

9. List of creditors.

(1) The list of creditors under sub-section (1) of section 104 shall contain the names of creditors, amount claimed, amount admitted and security interest, if any, in respect of such claims.

(2) The resolution professional shall -

- (a) make the list of creditors available for inspection by the persons who submitted claims with proof;
- (b) serve a copy of the list of creditors to the guarantor;

- (c) make available the list of creditors on the website, if any, of the guarantor;
- (d) present the list of creditors at the meeting of creditors; and
- (e) file a certified copy of the list of creditors with the Adjudicating Authority along with the repayment plan.

10. Statement of affairs.

- (1) The resolution professional shall prepare a statement of affairs of the guarantor for the purposes of clause (b) of sub-section (3) of section 107.
- (2) The statement of affairs shall include the following information of the guarantor -
 - (a) assets and liabilities for the preceding three financial years and the current financial year;
 - (b) details of the excluded assets and excluded debts;
 - (c) income statement for the preceding three financial years and the current financial year;
 - (d) income-tax returns filed by the guarantor, if any, for the preceding three financial years;
 - (e) creditor wise amount due, broken up into secured and unsecured debts for the preceding three financial years;
 - (f) details of debt owed by guarantor to his associates for the preceding three financial years;
 - (g) guarantees given in relation to any of his debts, and whether any of the guarantors is an associate of the guarantor; and
 - (h) details of the financial statements for the business owned by the guarantor, or of the firm in which he is a partner, as the case may be, for the preceding three financial years, if applicable.

CHAPTER IV

MEETINGS OF CREDITORS AND VOTING

11. Meeting of creditors.

- (1) A creditor, who is included in the list of creditors, shall be entitled to participate in the meetings of creditors.
- (2) The voting share of each creditor shall be in proportion to the debt owed to such creditor.
- (3) The resolution professional shall convene the first meeting of creditors in accordance with sub-section (1) of section 107 and shall convene the meeting, by giving such notice to the other participants as decided by the creditors, which shall not less than forty-eight hours.
- (4) The resolution professional shall convene a meeting of creditors on a request by creditors having thirty-three percent of voting share of creditors.
- (5) The notice under this regulation shall be served on every participant at the address provided to the resolution professional in accordance with regulation 12.
- (6) Unless otherwise provided in the Code, any decision of the creditors shall require approval of more than fifty percent of voting share of the creditors who voted.

12. Contents of the notice for a meeting.

- (1) The notice convening the meeting of creditors shall inform the participants of the venue, the time, the date of the meeting and of the options available to -
 - (i) participants to attend the meeting either in person, through video conferencing, or through a proxy; and
 - (ii) creditors to cast vote in person, through a proxy, by electronic means, or by electronic proxy, as the case may be.
- (2) The notice of the meeting shall carry the agenda, which shall include the following-
 - (a) list of matters to be discussed;
 - (b) list of issues to be voted upon;
 - (c) relevant documents in relation to the matters to be discussed and issues to be voted upon.
- (3) If an option to attend the meeting through video conferencing is made available to the participants, the notice of the meeting shall -

- (a) state the process and the manner for attending the meeting;
 - (b) provide the login ID and the details of a facility for generating password for access to the meeting in a secure manner; and
 - (c) provide contact details of the person who shall address the queries connected with the video conferencing.
- (4) If an option to cast vote by electronic means is made available to the creditors, the notice of the meeting shall -
- (a) state the process and the manner of casting vote by such means;
 - (b) provide the login ID and the details of a facility for generating password for access to the electronic means for casting vote in a secure manner; and
 - (c) provide contact details of the person who shall address the queries connected with the electronic means.

13. Quorum.

(1) A meeting of creditors shall be quorate if creditors representing at least thirty-three percent of voting share are present in person, by proxy or through video conferencing:

Provided that the creditors in a meeting may modify the percentage of voting share required for quorum in respect of any future meetings of the creditors.

(2) Where a meeting of creditors could not be held for want of quorum, unless the creditors have previously decided otherwise, the meeting shall automatically stand adjourned to the same time and place on the next day and on that day, no quorum shall be required.

14. Conduct of meeting.

- (1) The resolution professional shall preside over the meeting of creditors.
- (2) At the commencement of a meeting, the resolution professional shall take a roll call, when every participant, including those attending by proxy or through video conferencing, shall state, for the record, the following -
 - (a) his name;
 - (b) the capacity in which he is attending;
 - (c) the creditor he is representing, if applicable; and
 - (d) that he has received the agenda and all the relevant material for the meeting.
- (3) After the roll call, the resolution professional shall inform the participants of the names of all persons who are present for the meeting and confirm if the required quorum is complete.
- (4) The resolution professional shall ensure that the required quorum is present throughout the meeting.
- (5) From the commencement of the meeting till its conclusion, no person, other than the participants and any other person whose presence is required by the resolution professional, shall be allowed access to the meeting, without the permission of the resolution professional.

15. Voting by creditors.

- (1) The resolution professional shall take a vote of the creditors present in the meeting on any item listed for voting after discussion on the same.
- (2) At the conclusion of the meeting, the resolution professional shall prepare minutes of the meeting, including the names of creditors, who voted for, against or abstained from voting on the items put to vote in the meeting.
- (3) The resolution professional shall-
 - (a) circulate the minutes of the meeting by electronic means to all participants of the meeting within forty-eight hours of the conclusion of the meeting, and
 - (b) seek a vote on the items listed for voting in the meeting from the creditors who were not present in the meeting or did not vote at the meeting, by electronic means, where the voting shall be kept open for at least twenty-four hours from the circulation of the minutes as per clause (a).

(4) At the end of the voting period, the resolution professional shall record the decision arrived at on the items along with the names of creditors who voted for, against or abstained from voting on the items, after considering the voting at the meeting and through the electronic means.

(5) The resolution professional shall circulate a copy of the record made under sub-regulation (4) to all participants within twenty-four hours of the conclusion of the voting.

16. Voting by proxy.

(1) A creditor, who is entitled to vote at a meeting of creditors, shall be entitled to appoint an individual, who shall not be an associate of the guarantor, as a proxy to attend and vote on its behalf.

(2) For the purpose of sub-regulation (1), a creditor shall deliver Form C, duly completed to the resolution professional at least twenty-four hours prior to the meeting of creditors.

(3) A proxy may vote by electronic means on behalf of the creditor.

CHAPTER V

REPAYMENT PLAN

17. Contents of repayment plan.

(1) The repayment plan shall provide the following -

- (a) the term of the repayment plan and its implementation schedule, including the amounts to be repaid and dates of repayment to creditors;
- (b) the source of funds that will be used to pay resolution process costs and that such payment shall be made in priority over any creditor;
- (c) a minimum budget for the duration of the repayment plan, to cover the reasonable expenses of the guarantor and members of his immediate family to the extent they are dependent on him, provided that at least ten percent of the realisable income of the guarantor shall be utilised for repayment of debts;
- (d) financing required for implementation of the repayment plan;
- (e) if the guarantor has any business, the manner in which it is proposed to be conducted during the course of the repayment plan, and the role of the resolution professional;
- (f) the manner in which funds held for the purposes of the repayment plan, invested or otherwise dealt with, pending repayment to creditors;
- (g) the functions which are to be undertaken by the resolution professional, including supervision and implementation of the repayment plan;
- (h) variation of onerous terms of a contract or transaction involving the guarantor;
- (i) the details of excluded assets and excluded debts of the guarantor; and
- (j) terms and conditions for the discharge of the guarantor.

(2) The repayment plan may provide for the following-

- (a) transfer or sale of all or part of the assets of the guarantor along with the mode and manner of such sale;
- (b) administration or disposal of any funds of the guarantor;
- (c) satisfaction or modification of any security interest;
- (d) reduction in the amount payable to creditors;
- (e) curing or waiving of any breach of a debt due from the guarantor;
- (f) modification in the terms of repayment of any debt due from the guarantor;
- (g) part of the income of the guarantor to be used for the repayment of the debt, and the manner of calculating the income of the guarantor;
- (h) the manner in which funds held for the purpose of repayment to creditors, and not so repaid at the end of the repayment plan, are to be dealt with; and

(i) such other matters as may be required by the creditors.

18. Purchase of assets by certain persons.

(1) The following persons shall not purchase or acquire any interest in the property of guarantor, directly or indirectly, without permission of the Adjudicating Authority –

- (a) the resolution professional or any partner or director of the insolvency professional entity of which the resolution professional is a partner or director;
- (b) any professional appointed by the resolution professional for the resolution process;
- (c) any creditor;
- (d) any company where the guarantor or a creditor is a promoter or director;
- (e) any associate of the guarantor, creditor or resolution professional.

(2) The Adjudication Authority may set aside purchase or acquisition made contrary to the provisions of this regulation and may make such order as it may deem fit.

19. Filing with the Adjudicating Authority.

(1) The resolution professional shall file the repayment plan, as approved by the creditors, along with the report mentioned in sections 106 or 112, as the case may be, with the Adjudicating Authority on or before completion of one hundred and twenty days from the resolution process commencement date.

(2) The resolution professional shall provide the copies of the documents filed with the Adjudicating Authority under sub-regulation (1) to the guarantor and the creditors, within three days from the date of such filing.

20. Breach of repayment plan by the guarantor.

(1) If in the opinion of the resolution professional, the guarantor has failed in implementation of the repayment plan, the resolution professional shall, within three days of knowledge of such failure, issue a notice to the guarantor identifying the failure and requiring him, within fifteen days of receipt of the notice, to-

- (a) address such failure if it can be addressed, or
- (b) provide an explanation for the failure.

(2) If the guarantor, within the period specified under sub-regulation (1), -

- (a) addresses the failure in implementation of the repayment plan; or
- (b) provides a satisfactory explanation for such failure,

the resolution professional shall report the failure to creditors within seven days of the date of failure addressed or explanation provided for such failure.

(3) In cases not covered under sub-regulation (2), the resolution professional may apply to the Adjudicating Authority under sub-section (2) of section 116 for directions, if he is of the opinion that the failure will affect the implementation of the repayment plan.

21. Application for discharge order.

(1) The resolution professional shall, for the purpose of discharge order, file an application along with copies of the notice and report under section 117 to the Adjudicating Authority under section 119.

(2) On consideration of the notice and the report under sub-section (1) of section 117, the Adjudicating Authority may pass the discharge order.

22. Non-cooperation by guarantor.

In the event of non-cooperation of the guarantor at any time during the resolution process period or during the implementation of the repayment plan, the resolution professional shall prepare a statement to this effect and file the same with the Adjudicating Authority for appropriate directions.

FORM A**WRITTEN CONSENT TO ACT AS RESOLUTION PROFESSIONAL**

(Under regulation 4(2) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Personal Guarantors to Corporate Debtors) Regulations, 2019)

[Date]

To

The Adjudicating Authority

[Name of Bench]

From

[Name of the Insolvency Professional]

[Registration number of the Insolvency Professional]

[Address of the Insolvency Professional registered with the Board]

Subject: Written consent to act as resolution professional in the matter of *[name of guarantor]*.

1. I, *[name]*, an insolvency professional enrolled with *[name of insolvency professional agency]* and registered with the Board, note that I have been proposed to be appointed as resolution professional for the resolution process of *[name of the guarantor]*.

2. In accordance with regulation 4(2) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Personal Guarantors to Corporate Debtors) Regulations, 2019, I hereby give consent to the proposed appointment for the resolution process of *[name of the guarantor]*

3. I declare and affirm as under: -

(a) I am registered with the Board as an insolvency professional.

(b) I am not subject to any disciplinary proceedings initiated by the Board or the insolvency professional agency.

(c) I do not suffer from any disability to act as a resolution professional.

(d) I am eligible to be appointed as resolution professional of the guarantor under regulation 3 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Personal Guarantors to Corporate Debtors) Regulations, 2019 and other applicable provisions of the Code and regulations.

(e) I shall make the disclosures in accordance with the code of conduct for insolvency professionals as set out in the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) Regulations, 2016.

(f) I am having the following processes in hand:

Sl. No.	Role as	No. of processes on the date of consent
1	Interim Resolution Professional	
2	Resolution Professional of: a. Corporate debtors b. Personal guarantors, individuals or partnership firms	
3	Liquidator of: a. Liquidation Process b. Voluntary Liquidation Process	
4	Bankruptcy Trustee	
5	Authorised Representative	
6	Any other (<i>please state</i>)	

Date:

Place:

(Signature of Insolvency Professional)

Registration No.....

FORM B

CLAIM WITH PROOF BY A CREDITOR

(Under regulation 7(1) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Personal Guarantors to Corporate Debtors) Regulations, 2019)

[Date]

To

[Name of the Resolution Professional]

[Address as set out in public announcement]

From

[Name and address of the creditor]

Subject: Submission of claim with proof in the matter of [name of guarantor].

Madam/Sir,

[Name of the creditor], hereby submits the claim with proof in respect of the resolution process of [name of guarantor].
The details for the same are set out below:

1.	Title and full name of creditor				
2.	Identification number of creditor	Aadhaar Number	PAN	CIN	GSTIN
3.	Address	Present	Permanent	Business	
4.	Email				
5.	Total amount of claim (Including any interest as on the resolution process commencement date)				
6.	Details of documents by reference to which the debt is substantiated				
7.	Details of any dispute, as well as the record of such dispute with respect to claim (if any)				
8.	Details of how debt was incurred and the date when such debt was incurred				
9.	Details of any mutual credit, mutual debts, or other mutual dealings between the guarantor and the creditor, which may be set-off against the claim				
10.	Details of any retention of title arrangements in respect of goods or properties to which the claim refers				

11.	Details of the bank account to which the amount of the claim or any part thereof can be transferred pursuant to a repayment plan (Account Number, IFS Code, Branch and Bank)	
12.	Details of any security held (including value and date when it was given)	
13.	If you are a secured creditor, tick the applicable box in the right column relating to forfeiture of right to enforce security during the period of the repayment plan, which will determine the voting share as per section 110 of the Code	<input type="checkbox"/> I agree to forfeit my right to enforce my security <i>[insert description]</i> during the period of the repayment plan. <input type="checkbox"/> I do not agree to forfeit my right to enforce my security <i>[insert description]</i> during the period of the repayment plan.
14.	(i) Amount claimed by me in the corporate insolvency resolution process / liquidation process of the corporate debtor (ii) The amount admitted by the resolution professional / liquidator of said process (iii) Amount realised by me in the said process, if any	
15.	Following information regarding the guarantor (to the extent known)- Assets of the guarantor Business of the guarantor Firms in which guarantor is a partner Bank account details of the guarantor Name, age and address of spouse, children, parents and siblings of the guarantor	
Signature of creditor or person authorised to act on his behalf		
<i>[Please enclose the authorisation document if this form is being submitted on behalf of a creditor]</i>		
Name in block letters		
Address of person signing		

DECLARATION

I, *[name of creditor]*, currently residing at *[insert address]*, hereby declare and state as follows:-

1. *[Name of guarantor]*, the *guarantor* was, at the resolution process commencement date, being the *[date]* of *[year]*, indebted to me to the sum of Rs. *[insert amount of claim]*.
2. In respect of my claim of the said sum or any part thereof, I have relied on the following documents:
 - (a)
 - (b)
 - (c)
 - (d)
 - .
 - .
 - .

3. The aforesaid documents are true, valid and genuine to the best of my knowledge, information and belief.
4. In respect of the said sum or any part thereof, I have not, nor has any person by my order, to my knowledge or belief, for my use, had or received any manner of satisfaction or security whatsoever, save and except the following-

[Please state details of any mutual credit, mutual debts, or other mutual dealings between the guarantor and the creditor which may be set-off against the claim.]

Date:

Place:

(Signature of the creditor)

VERIFICATION

I, *[Name of creditor]* the creditor hereinabove, do hereby verify that the contents of this proof of claim are true and correct to the best of my knowledge and belief and that no material facts have been concealed therefrom.

Verified at _____ on this _____ day of _____ 20__

(Signature of the creditor)

FORM C

PROXY FORM

(Under regulation 16(2) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Personal Guarantors to Corporate Debtors) Regulations, 2019)

Full name of the guarantor -

[Insert matter name / application number for the resolution process]

Full name of creditor				
Address	Present	Permanent	Business	
Identification Number	Aadhaar Number	PAN	CIN	GSTIN
E-mail				

I being *[insert name of creditor]* holding *[insert % of voting share]* in the debt of the guarantor, hereby appoint-

1.	Full name				
	Address	Present	Permanent	Business	
Identification Number	Aadhaar Number	PAN	CIN	GSTIN	

	E-mail	
	Signature	

or failing him;

2.	Full name				
	Address	Present	Permanent	Business	
	Identification Number	Aadhaar Number	PAN	CIN	GSTIN
	E-mail				
Signature					

as my proxy to attend and vote for me and on my behalf at the meeting of creditors to be held on *[insert date and time of meeting]* at *[insert venue of the meeting]*, and at any adjournment thereof in respect of the matters indicated in the notice of the meeting *[provide details of the notice]*, as listed below-

[insert matters as listed in the agenda]

Signed this *[insert date]* day of *[insert month]* *[insert year]*

Signature of creditor

Signature of proxy: .

Dr. M. S. SAHOO, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./300/19]